


80

187
12-4-13

R-1780-III/13



C.F. 25-201

श्रीमती चन्द्रकती भारती बेबा पत्नी मुद्रिका भारती उम्र 60 वर्ष,
निवासी देवतालाब पो. देवतालाब तहसील मझांज जिला रीवा म.प्र.

----- आवेदिका ।

जाम

अधिवक्ता श्री मुरलीधर
सिंह द्वारा पेशकृत
रीवा दि. 12-4-13

मलक आफ कोटे
व मण्डल, ...

30-4-13

- 1- चूड़ा मणि भारती तनय श्री लक्ष्मी भारती साकिन देवतालाब तहसील मझांज जिला रीवा म.प्र. ।
- 2- कुमुम देवी बेबा श्यामसुंदर
- 3- ~~बेबा श्यामसुंदर~~ पवन कुमार तनय श्यामसुंदर
- 4- प्रेमवती बेबा मोतीलाल
- 5- बाल गोविन्द पिता ~~श्री रामसुंदर~~ मोतीलाल
- 6- चन्द्रकान्त पिता मोतीलाल
- 7- नन्द कुमार तनय मुद्रिका भारती भारती
- 8- पुष्पराम ~~भारती~~ तनय मुद्रिका भारती भारती
- 9- रामबहोर भाटी तनय मुद्रिका भारती । इस नाम का मुद्रिका के कोई लडके नहीं है ।
- 10- राम कुमार तनय रज्जु भारती
- 11- ~~बबलू तनय मुद्रिका भारती देवतालाब~~

----- सभी निवासी ग्राम देवतालाब तहसील मझांज जिला रीवा म.प्र.

----- अनंत गण ।

निगरानी विरुद्ध 18-3-13, प्र.क्र. 70/12-13 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार वृत्त देवतालाब तहसील मझांज जिला रीवा म.प्र. ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. क्र.रा.सं. 1959

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R1730/2013 (शिव) पण्डवली | इडाकरी

स्थान तथा दिनांक	कार्रवाई तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभोगकों के हस्ताक्षर
06/11/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 19/7/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी रहे के प्रकरण क्रमांक 06/3/2013 में पारित आदेश दिनांक 18/3/13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला इडाकरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/11/19 को कलेक्टर जिला इडाकरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सादर 6/11/19